न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः पर्वतसिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 19/2019

उनवान मुकदमा

1. शमसुद्दीन पिता श्री एहमद जी जाति मुसलमान उम्र वयस्क
2. जलालुद्दीन पिता श्री एहमद जी जाति मुसलमान उम्र वयस्क
3. मोहम्मद शरीफ पिता स्व. श्री बदरूद्दीन जाति मुसलमान उम्र वयस्क
4. मोहम्मद अली पिता स्व. श्री बदरूद्दीन जाति मुसलमान उम्र वयस्क
5. श्रीमती अफसाना पुत्री स्व. श्री बदरूद्दीन (पत्नी श्री कलीमुद्दीन) जाति मुसलमान उम्र वयस्क,
6. श्रीमती काली पुत्री स्व. श्री बदरूद्दीन (पत्नी श्री राहाग) जाति मुसलमान उम्र वयस्क
7. श्रीमती सुल्ताना पत्नी स्व. श्री बदरूद्दीन जाति मुसलमान उम्र वयस्क,
8. श्रीमती आयशा पुत्री स्व. श्री करीमुद्दीन (पत्नी श्री मोहम्मद इश्तियाक) जाति मुसलमान उम्र वयस्क
9. सुवालिन पिता स्व. श्री करीमुद्दीन जाति मुसलमान उम्र वयस्क,
10. साहिल पिता स्व. श्री करीमुद्दीन जाति मुसलमान उम्र वयस्क,
11. श्रीमती रूखसाना पत्नी स्व. श्री करीमुद्दीन जाति मुसलमान उम्र वयस्क
12. जैनुद्दीन पिता स्व. श्री अजुद्दीन जाति मुसलमान उम्र वयस्क
13. बाबु पिता स्व. श्री अजुद्दीन जाति मुसलमान उम्र वयस्क

निवासीयान पृथ्वीगंज सिलावटवाडी बांसवाडा राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. आयुक्त नगर, परिषद बांसवाडा जिला बांसवाडा।
2. तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थीगण वकील : श्री तसलीम एहमद

अप्रार्थीगण सं.1 : आयुक्त नगर परिषद बांसवाडा

अप्रार्थीगण सं.2 :तहसीलदार बांसवाडा

आदेश

दिनांक :–15–03–2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण का लिखित कथन है कि प्रार्थी की स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 125 नया 105 पुराना का खसरा संख्या 232/3 रकबा 0.15 बीघा किस्म काबील कास्त ग्राम केवलपुरा पटवार क्षेत्र ठिकरीया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) पर स्थित है। उक्त कृषि भूमि पर अन्य का कोई हक, अधिकार व स्वामित्व नही है। प्रार्थीगण के खसरा संख्या 232/3 रकबा 0.15 बीघा की भूमि पर अप्रार्थी सं. 01 द्वारा माह अप्रेल सप्ताह में मजदुरो, जेसीबी मशीन, ट्रेक्टर आदी द्वारा परकोटा बनाने एंव रोड निकालने का कहने पर प्रार्थी द्वारा कहा गया कि, उक्त भूमि हमारी कृषि भूमि है इसमे तुम निर्मा नहीं कर सकते जिस पर भी अप्रार्थी सं0 01 नहीं माने एवं द्रुतगति से निर्माण किया एवं प्रार्थी द्वारा रोकने पर राज का भय बताया कि, हमे सरकार ने आर्डर दिया है हम नहीं रूकेगें और रोकने आये तो तुम्हे झुठे मुकदमो में फसा देगे। जिस कारण प्रार्थीगण भयभीत हो गये एवं उनके द्वारा दिनांक 25.04.2019 एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को प्रस्तुत कर, तत्काल पटवारी हल्का ठीकरिया द्वारा कार्य रोकने हेतु निवेदन किया। जिस पर अप्रार्थी सं. 01 द्वारा दिनांक 13.05.2019 को कार्य रोका गया एवं बाद में कहा गया कि, प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि तरमीम शुदा नहीं है। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं 02 को दस्तावेज बताये गये जिसमें नक्शा ट्रेस दिनांक 13.02.2013 व दिनांक 16.02.2015 जो पटवार हल्का ठिकरीया द्वारा जारी में प्रार्थीगण की खसरा नम्बर 232/3 रकबा 0.15 बीघा की तरमीम को दर्शाया जिस पर अप्रार्थी सं 02 ने कहा कि, हम इसे नही मानते की कार्यवाही करनी हो तो न्यायालय में करो। इस प्रकार अप्रार्थीगण बिना कोई मुआवजा एवं प्रार्थीगण को सुचना दिये जबरन प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा कर परकोटा व सडक का निर्माण है। इस प्रकार अप्रार्थीगण प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा,जिला बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.03.08 17:02:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

शांतिपूर्ण कब्जे में बाधा व रूकावट उत्पन्न कर रहे है एवं प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग से वंचित करने की चेष्टा कर रहे है एवं प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने को उतारू है। जिसका मूल्यांकन रुपयों में संभव नहीं हैं। इस कारण उक्त खसरा नंबर की पूर्ववर्ती तरमीम करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में प्रस्तुत है।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन अप्रेल 2019 के प्रथम सप्ताह में जारे जबरदस्ती निर्माण को उतारू होने एवं निर्माण को नहीं रोकने से एवं प्रार्थीगण को डारने धमकाने व जोर जबरदस्ती बेदखल करने की धमकी देने से व प्रार्थीगण के शांतिपुर्ण उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न करने एवं माह सितम्बर 2019 में पटवार हल्का व अप्रार्थी सं. 02 को निवेदन करने पर भी तरमीम न करने से अदालत हाजा में प्रार्थना–पत्र का कारण उत्पन्न हुआ है।

अप्रार्थी सं 01 नगर परिषद द्वारा अप्रार्थी सं. 02 भूमिधारी होने से प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से एवं प्रकरण अर्जेन्ट व इमिजेट नेचर का होने से अप्रार्थी सं. 01 व 02 को नोटिस देने में छुट देने हेतु धारा 271 नगर पालिका अधिनियम एवं धारा 80(2) सी.पी.सी. का पृथक से प्रार्थना पत्र पेश है।

अतः बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण आदेश प्रदान करे की प्रार्थीगण की स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 125 नया 105 पुराना का खसरा संख्या 232/3 रकबा 0.15 बीघा किस्म काबील कास्त ग्राम केवलपुरा पटवार क्षेत्र ठिकरीया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) पर स्थित में जहा प्रार्थीगण पूर्ववर्ती काबीज है एवं नक्षा ट्रेस दिनांक 13.02.2013 व दिनांक 16.02.2015 जो पटवार हल्का ठिकरीया मे तरमीम की गई है। उसे बदस्तुर कायम रखते हुवे तरमीम के आदेश अप्रार्थी सं. 02 को प्रदान करे। अप्रार्थी सं 01 द्वारा जो प्रार्थीगण की भूमि में निर्माण किया उसे ध्वस्त कर उसकी क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा दिलावे। प्रार्थना पत्र व्यय व अभिभाषक शुल्क दिलावे । अन्य अनुतोष जो न्यायसंगत हो दिलावे।

फर्द दस्तावेज में जमाबन्दी संवत् 2070 से 73, खसरा गिरदउवरी संवत् 2070 से 73 नक्शा ट्रेस दिनांक 13.02.2013 व 16.02.2015 प्रार्थना पत्र श्रीमान् जिला कलक्टर बांसवाडा,पत्र जिला कलक्टर बांसवाडा, कार्य स्थगन आदेश 14.05.2019 आदि पेश किये है।

दिनांक 02.03.2020 को आयुक्त नगर परिषद बांसवाडा ने जवाब पेश किया जवाब में बताया की वाद पत्र की चरण संख्या 01 व 02 विवादीत नहीं है। वाद पत्र की चरण संख्या 03 के जवाब में निवेदन किया कि सर्वे नंबर 232/3 रकबा 15 बिस्वा भूमि वादीगण के संयुक्त खातेदारी की है। जिससे नगर परिषद का कोई संबंध नही है। नक्षा ट्रेस में यदि किसी प्रकार की अशुद्धि होने पर नक्षा ट्रेस में तरमीम शुद्धि किये जाने में नगर परिषद में कोई आपत्ति नहीं है। वादीगण ने जनसुनवाई में प्रकरण दर्ज करवाया था। जिसमें नगर परिषद बांसवाडा में अपने पत्र क्रमांक 1299 दिनांक 22.05.2019 के द्वारा जवाब देकर स्पष्ट किया गया है कि उक्त सर्वे नं0 की भूमि शिकायत कर्ता की निजी होना बताया गया है। मौके पर निर्माण कार्य रूकवा दिया है एवं आगे निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। वाद पत्र की चरण संख्या 03 गलत होकर अस्वीकार है। इस चरण में लगाये गये आरोप झुठे व बनावटी है। वादीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई कारण उत्पन्न नही होता है। वाद पत्र की चरण संख्या 04 गलत होकर अस्वीकार है। धारा 271 नगर पालिका अधिनियम में नोटिस देने का कोई प्रावधान नहीं है। वादीगण ने गलत अभिवचन किया है एवं गलत विधि का उल्लेख किया है। वाद पत्र की चरण संख्या 5 से 8 कानुनी है। प्रकरण पर आई दस्तावेजी साक्ष्य से यदि वादीगण नक्षा ट्रेस में तरमीम की अशुद्धि पाते हैएवं साक्ष्य से तरमीम अशुद्धि पाये जाने पर नक्षा ट्रेस में शुद्धि करने में कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही निवेदन किया है कि अप्रार्थी नं 01 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावे। राजस्व रेकॉर्ड की रोशनी में उचित आदेश करना फरमावे।

दिनांक 16.03.2020 को अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार बांसवाडा का जवाब पेश हुआ। जवाब में बताया कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 के संबंध मे जमाबन्दी संवत् 2070 से 73 ग्राम केवलपुरा के खाता संख्या 125 में आराजी सर्वे नम्बर 232/3 रकबा 0.15 बिघा शमशदीन, जलालुद्दीन पिता एहमद, जैनुद्दीन, बाबु पिता अजुद्दीन कुवराबाई पत्नि [illegible] मोहम्मद अली अफसाना पिता बदरूद्दीन ,काली पुत्री बदरूद्दीन, सुल्ताना बेवा बदरूदीन, आयशा , [illegible] करीमुदीन रूखसाना पत्नी करीमुदीन के नाम दर्ज रिकार्ड है [illegible] नक्षे में ग्राम केवलपुरा की आराजी सर्वे नम्बर 232/3 पैमुदगी/तरमीम नही [illegible] जिसके कारण मौके [illegible] नहीं की जा सकती। पैरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.03.08 17:02:11 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
जिला बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

संख्या 2,3,एवं 4 अस्वीकार है। पैरा संख्या 5,6,7, एवं 8 के जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष के संबंध में यद्यपि ग्राम केवलपुरा के खाता संख्या 125 सर्वे नं 232/3 रकबा 0.15 बीघा प्रार्थीगण खातेदार के रूप मे दर्ज रिकोर्ड है तथापि वर्तमान राजस्व नक्षे में आराजी सर्वे नम्बर 232/3 पैमुदगी/तरमीम नहीं है। ऐसी स्थिति मे आराजी सर्वे नम्बर 232/3 की मौके की स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकती है। एवं प्रार्थीगणो का उक्त आराजी पर कब्जा जाहीर नहीं होता है। प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में पौषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावे।

प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 30.07.2020 को अप्रार्थी संख्या 2 के जवाब का जवाबुल जवाब पेश हुआ। जिसमें बताया कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में अप्रार्थी संख्या 2 को दस्तावेज बताये गये जिसमें नक्षा ट्रेस दिनांक 13.02.2013 दिनांक 16.02.2015 जो पटवार हल्का ठिकरिया द्वारा जारी में प्रार्थीगण के उक्त खसरा नं. 232/3 रकबा 0.15 बीघा तरमीम दशाई गई है, का उल्लेख है जिसको अप्रार्थी संख्या 2 ने अस्वीकार किया जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण के उपरोक्त खसरा नम्बर में निर्माण कार्य को रूकवाया है एवं तरमीम अशुद्धि पाये जाने पर नक्षा ट्रेस में शुद्धि करने में भी नगर परिषद को कोई आपत्ति नहीं है का नगर परिषद ने अपने जवाब में कथन किया है जबकि अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने अधिनस्थ द्वारा दिनांक 13.02.2013 व दिनांक 16.02.2015 जारी नक्षे को ही अस्वीकार कर दिया है, जो विधि विरूद्ध है एवं उक्त खसरा की पूर्ववर्ती तरमीम का कोई जवाब नही दिया है जबकि प्रार्थीगण मौके पर काबीज है ऐसी स्थिति में उपरोक्तानुसार जारी नक्षे अनुसार तरमीम के आदेश अप्रार्थी संख्या 2 को दिया जावे। प्रार्थीगण द्वारा उक्त जवाबुल जवाब के आधार पर पूववर्ती तरमीम बदस्तुर कायम रखते हुए तरमीम के आदेश अप्रार्थी संख्या 2 को प्रदान करे।

तहसीलदार बांसवाड़ा ने अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2020/1215 दिनांक 22.10.2020 को अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया कि वर्तमान में कार्य में आ रहे नक्शा (मोमीया शीट) में खसरा नम्बर 232/3 तरमीम नही है। शमशुद्दीन द्वारा प्रस्तुत नक्शे की नकल में 232/3 की तरमीम वाला नक्शा प्रस्तुत किया है। वर्तमान में 232/3 के स्थान पर 229/3 लिखा हुआ है। मौके पर 232/3 रकबा 0.15 बीघा, 229/3 रकबा 0.08 बीघा पर खातेदार का कब्जा नही है। मौके की स्थिति अनुसार वर्तमान में नगर परिषद बांसवाड़ा द्वारा रास्ता बना रखा है। पास में तालाब का केचमेन्ट एरिया भी है।

दिनांक 01.02.2021 को फर्द दस्तावेज में नामान्तकरण संख्या 6 दिनांक 19.09.62, जमाबन्दी संवत 2027 से 2030, ना.स. 160 दि. 28.11.1990, जमाबन्दी संवत 2051 से 54, नक्षा ट्रेस, जमाबन्दी संवत 2070 से 73, जमाबन्दी संवत 2031 से 2034, जमाबन्दी संवत 2034 से 2037, जमाबन्दी संवत 2038 से 2041, जमाबन्दी संवत 2043 से 2046, जमाबन्दी संवत 2047 से 2050, जमाबन्दी संवत 2027 से 2030, जमाबन्दी संवत 2034 से 2037, जमाबन्दी संवत 2081 से 2084, जमाबन्दी संवत 2068 से 2071, जमाबन्दी संवत 2070 से 2073, जमाबन्दी संवत 2072, जमाबन्दी संवत 2070 से 2073, खसरा संवत 2071, जमाबन्दी संवत 2070 से 2073, नक्षा ट्रेस आदि पेश किये है।

भूमि नक्षे में तरमीम हुई है, की शुद्धि किया जाना आवश्यक है। जिसकी पुष्टि प्रथम दृष्टया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से हो रही है। जिस कारण प्रकरण कानूनी आधार पर पेश है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 पर प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री तसलीम एहमद एवं अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार बांसवाड़ा की बहस दिनांक 15.03.2022 को सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री तसलीम एहमद ने बहस के दौरान अपने कथन में बताया कि प्रार्थी की स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 125 नया 105 पुराना का खसरा संख्या 232/3 रकबा 0.15 बीघा किस्म काबील कारत ग्राम केवलपुरा पटवार क्षेत्र ठिकरीया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) पर स्थित है। उक्त कृषि भूमि पर अन्य का कोई हक, अधिकार व स्वामित्व नही है। [illegible] है। बाद में इन्होने 232/3 की प्रार्थीगण के खसरा संख्या 232/3 रकबा 0.15 बीघा [illegible] दिनांक 13-02-2013 एवं 16-12-2015 में जगह 229/3 कर दिया। पटवारियों द्वारा पूर्व में [illegible] नक्शा [illegible] ट्रेस में 232/3 के स्थान पर 229/3 का स्पष्ट साबित हो रहा है। दिनांक [illegible] 2021 जो जारी [illegible] पूर्व में जारी नक्शा ट्रेस अनुसार तरमिम शुद्धि अंकन किया गया है। जो कि गलत अंकन [illegible] रिपोर्ट से स्पष्ट जाहिर है कि खाता संख्या किये जाने निवेदन है। साथ ही तहसीलदार बांसवाड़ा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.03.08 17:02:11 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
जिला बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

232/3 का अंकन नक्शे में नही है। जबकि खसरा संख्या 232/3 का नक्शें में कही न कही तो अंकन दर्शाना चाहिये।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा ने जवाब उल जवाब को अपने कथन में दोहराया। जिसमें स्वीकार किया कि वर्तमान कार्य में आ रहे नक्शा (मोमीया शीट) में खसरा नम्बर 232/3 तरमीम नही है। नक्शे में वर्तमान नक्शे में 232/3 के स्थान पर 229/3 लिखा हुआ है। मौके पर खातेदार का कब्जा नही है। वर्तमान में नगर परिषद बांसवाड़ा द्वारा रास्ता बना रखा है। पास में तालाब का केचमेन्ट एरिया भी है। दिनांक 04.08.2021 को पटवारी श्री जगदीश चारण ने न्यायालय में उपस्थित होकर जूज नक्शा ट्रेस ग्राम केवलपुरा पटवार मण्डल ठिकरिया पी 36 दिनांक 30.07.2021 प्रस्तुत किया है, जिसमें 229/3 का अंकन होना प्रस्तुत किया है। वर्तमान राजस्व नक्षे में आराजी सर्वे नम्बर 232/3 पैमुदगी/तरमीम नहीं है। ऐसी स्थिति मे आराजी सर्वे नम्बर 232/3 की मौके की स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकती है। एवं प्रार्थीगणो का उक्त आराजी पर कब्जा जाहीर नहीं होता है। प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में पौषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावे।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता व अप्रार्थीसंख्या 1 के तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा की बहस में प्रस्तुत कथन एवं तहसीलदार बांसवाड़ा की रिपोर्ट, पत्रावली में सलग्न दस्तावेजो का सुक्ष्म परीक्षण कर इस नतीजे पर पहुचा कि प्रार्थीगण ने धारा 136 के तहत तरमीम शृद्धि चाही है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 232/3 रकबा 0–15 बीघा–बिस्वा का राजस्व रेकार्डेड खातेदार है। पूर्व में पटवारी पटवार मण्डल ठिकरिया तहसील बांसवाड़ा (राज.) द्वारा जारी नकल पी सं. 451 दिनांक 13.02.2013 एवं पी 35 सं. 209 दिनांक 16.2.2015 में खसरा नम्बर 232/3 का अंकन है। जबकि तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा की रिपोर्ट दिनांक 22.10.2020 को एवं पटवारी पटवार मण्डल ठिकरिया द्वारा पी 35 सं. 56 दिनांक 30.7.2021 को जारी नकल में खसरा नम्बर 229/3 का अंकन जाहिर किया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा दोनों ने पटवारी पटवार मण्डल ठिकरिया तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) ने नकल नक्शा ट्रेस अलग–अलग दिनांक को जारी होने के पेश किये है। इन नक्शों के आधार एवं नक्शों का अवलोकन करने पर राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि का रेकार्डेड खातेदार है। चुकि प्रार्थीगण को खसरा संख्या 232/3 रकबा 0–15 बीघा–बिस्वा की जारी नकल नक्शा पूर्व में पटवारी द्वारा जारी किया गया है। इन नक्शों एवं राजस्व रेकार्ड से प्रार्थीगण का खसरा संख्या 232/3 का रेकार्डेड खातेदार होना एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम पूर्व में होना साबित करने में सफल रहे है। आयुक्त नगर परिषद बांसवाड़ा अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीगण की निजी भूमि तरमीम अशुद्धि को शुद्ध करने पर आपत्ति नही होना जाहिर किया है। तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा ने खसरा नम्बर 232/3 के स्थान पर 229/3 का अंकन कब हुआ, कैसे हुआ इस बाबत अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट एवं बहस के दौरान कथन में खण्डन नही किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण को पूर्व में जारी नकल अनुसार तरमीम की जाना तय किया जाता है। चुंकि भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी को राजस्व रेकार्ड में त्रुटि का संज्ञान होने पर त्रुटि को दुरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। हस्तगत प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि बाबत पूर्व में पटवारी पटवार मण्डल ठिकरिया तहसील बांसवाड़ा (राज.) द्वारा जारी नकल पी सं. 451 दिनांक 13.02.2013 एवं पी 35 सं. 209 दिनांक 16.2.2015 में खसरा नम्बर 232/3 का अंकन अनुसार वर्तमान नक्शे में खसरा नम्बर 229/3 के स्थान पर 232/3 अंकन शुद्धि की जावे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा तद्अनुसार राजस्व नक्शे में शुद्धि करे।

आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। आदेश सरे इजलास सुनाया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 15–03–2022 को सुनाया गया।

(पर्वतसिंह चण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा,जिला बांसवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.03.08 17:02:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner